



Regd. Office, 2nd floor, Muthoot Chambers, Opposite Saritha Theatre Complex, Banerji Road, Kochi 682 018


RBI License no:N-16-00167

Branch : KATNI (MP)(04908)

Phone No. (07622-240002/04)  
GSTIN: 23AABCT0343B1Z6

CIN: L65910KL1997PLC011300


## GOLD LOAN APPLICATION FORM

Applicant Name: SURJEET SINGH BAGRI		Customer Photo 
Father / Husband Name: YASHWANT SINGH BAGRI		
Gender: MALE	Marital Status: MARRIED	
Date of Birth: 08/03/1994	Age: 30	
Occupation: SALARIED PRIVATE		
Income Range: 3 TO 5 LAKHS	Purpose: PERSONAL	
Permanent Address: SO YASHWANT SINGH BAGRI 32 MAIN ROAD NEAR KHAMBA, GRAM KHAMHARIYA GOSALPUR JABALPUR MP, Gosalpur S.O, KATNI Land Mark: NEAR SHIV TEMPLE City: GRAM KHAMHARIYA GOSALPUR State: MADHYA PRADESH JABALPUR MP Pin Code: 483222 Tel:   Mob: *****7024 Email:		
Communication Address: SO YASHWANT SINGH BAGRI 32 MAIN ROAD NEAR KHAMBA, GRAM KHAMHARIYA GOSALPUR JABALPUR MP, Gosalpur S.O, KATNI Land Mark: NEAR SHIV TEMPLE City: GRAM KHAMHARIYA GOSALPUR State: MADHYA PRADESH JABALPUR MP Pin Code: 483222 Tel:   Mob: *****7024 Email:		
Cust. ID: 04908000001059	CRM Code: 049080055292439	Identification Details
Address Proof Details	Pan /Form 60: CAFPB6106B	Income Proof: NA (Loans above Rs. 25Lakhs)
Facility: Gold Loan	Type of Application: Top Up	Selected Scheme: MHP
Loan Number: 04908/MHP/000351	Loan Amount: 294,000	

Individuals: 1) Photo ID Proof 2) Residence Proof

For list of acceptable documents, kindly refer to KYC Documentation Policy available on our website [www.muthootfinance.com](http://www.muthootfinance.com)

I/We hereby request you to kindly grant an amount of Rs. 294,000 (Rupees Two Lakh Ninety Four Thousand only) against the pledge of Gold ornaments (weight of 60.000 grams). The details of the gold ornaments are mentioned below.

SL No	Particulars of Gold Ornaments	No of Items	Gross Weight in Grms (A)	Deduction for Stone in Grms (B)	Net Weight in Grms (C)	Rate Per Gram (D)	Eligible Loan Amount (E)	Availed Loan Amount	Ornaments Photo
1	Necklace With..	2	59.000	14.200	44.800	4,900	294,000	294,000	
2	Bendi	1	2.700	0.300	2.400	4,900			
3	Bangles	2	13.800	1.000	12.800	4,900			
Total		5	75.500	15.500	60.000				

**Ownership declaration by the borrower.**

I/We hereby declare and confirm that the above mentioned ornaments are owned by me. I/we have purchased the said ornaments from \_\_\_\_\_ vide Bill No. \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_ (Note)

OR

They are our ancestral property/self-acquired and exclusively belong to me/us and I am indemnifying MUTHOOT FINANCE LTD (MFL) in case of any claims from any one on the ownership of the ornaments being offered to secure the subject loan. . I/We are aware that the weight and quality/purity is subject to the verification by the auditors of your company and any Irregularities/ anomalies notified by them are binding on me.

**Note: (if available only)**

Signed by OTP \*\*\*\*\*7024

04/07/2024 04:42 PM

Signature of Borrower

**Certificate by Branch Manager**

I hereby confirm that the above details are verified on the basis of KYC documents submitted by the borrower and found correct. The ornaments submitted by the borrower are verified and confirm that they are as per the declaration given by the borrower.

Digitally Signed by the Branch Manager

Name: DEEPAK KUMAR

EMP No: DM33561

**GOLD LOAN SANCTION LETTER**
**Loan Sanction Letter**
**Sanction Date: 04/07/2024**
**Gold Loan No: 04908/MHP/000351**
**TPPNO:- Medium - 70371**  
**OLD GL NO: MHP - 116**

1. We refer to the application dated 04/07/2024 for grant of the requested Gold loan facility.
2. The Borrower acknowledges and confirms that the terms and conditions of the said loan facility are as appended in the below mentioned table.
3. The borrower also acknowledges and confirm that the below mentioned terms shall be read in conjunction with the terms and Conditions stipulated in the application form and as detailed in the annexure.

Borrower Name	SURJEET SINGH BAGRI
Facility	Gold Loan
Loan Amount	294,000
Period of Loan	12 Months
Principal Due Date	04/07/2025
Payment Mode	CASH
Rate of Interest	24% p.a
Mode of Computation of Interest	Monthly Rest
Purpose of Loan	PERSONAL
Pledge	The gold ornaments have been deposited with MFL to secure the Facility and only gold component of pledged articles will be considered for valuation
Margin	Borrowers shall ensure that at all-time aggregate amounts(including principle, interest and other charges) outstanding is not more than 90% of the value of Pledged Articles or such other percentage as stipulated by the Lender from time to time
Auction :	MFL may auction the Gold as per its policy in case of breach of the terms of sanction

Schedule of Charges (Inclusive of Taxes)		Rebate For interest payment is available till the 04/07/2025		
Particular	Amount	If paid Wthin	Rebate* p.a	Effective ROI p.a.
Token Charges		1 Month	9% p.a.	15% p.a.
Service Charge	Rs.880/-	2 Month	5% p.a.	19% p.a.
Security Charges	Rs.100/-	3 Month	2% p.a.	22% p.a.
SMS charges/Quarterly or part thereof	Rs.5/-			
Token Lost Charges	Rs.25/-	Beyond Principal due date- <b>Penal Charges (including GST)</b>		₹0.10 per day per ₹1000 or part thereof
Stamp Duty		Effective annualized Rate: 26.82%		
Postage Charges Per Notice (Ordinary/Registered/Legal notice)	Rs.30/-, Rs.100/- and Rs.120/-	*Above rebate is applicable, only if up to date interest is paid on the loan.		
Auction Charges	Rs.350/-	Payment option to remit interest/ principal direct to the loan account: Cash up to less than Rs.2 lakhs and above Rs.2 lakhs by way bank transfer/Digital platform[Pay online Visit <a href="https://online.muthootfinance.com">https://online.muthootfinance.com</a> or use inuthoot app]		
Door to Door Charges	Upto Rs.500/-	Safe custody Charges	Rs.5/ gm / Month (Applicable, If balance outstanding falls below 25% of loan amount)	
Loan @ Home Charges	Upto Rs.500/-	Rebate Reversal (If loan closed within)		
Third Party Transaction Charges	Rs.100/-	3 Months	6 Months	9 Months
Credit Appraisal Charges				

4. The Borrower understands that the MFL has adopted risk based pricing, which is arrived by taking into account, broad parameters like credit profile, ornaments profile (market price/purity & quality) etc. Further, the Borrower acknowledges and confirms that the MFL shall have the discretion to change prospectively the rate of interest and other charges applicable to the said loan facility.
5. The Borrower acknowledges and confirms having received a copy (electronic copy only) of the sanction letter and understood the terms and conditions of sanction.
6. Borrower understands that all the payment receipts are provided electronically only. However if physical copies of sanction letter and payment confirmation is required, please obtain the same from our branch on paying nominal charges.

**Digitally Signed by the Branch Manager.**
**Name & Empl ID: DEEPAK KUMAR & DM33561**
**Declaration by the Borrower and Acknowledgement of Loan**

Borrower accepts and acknowledges the receipt of Rs. 294,000, Rupees Two Lakh Ninety Four Thousand only only, under the gold loan facility by way of cash/ direct credit to bank account

Bank Name	IFSC	Account Number	Account Name

Signed by OTP \*\*\*\*\*7024

04/07/2024 04:42 PM

**Signature of Borrower**


## नियम एवं शर्तें (गोल्ड लोन सुविधा)

1. ऋण की मात्रा संपार्श्विक सुरक्षा (गिरवी रखी गई वस्तुएं) के रूप में पेश किए गए आभूषणों में कैरेट के संदर्भ में शुद्ध सोने की मात्रा और उधारकर्ता द्वारा चुनी गई ऋण योजना पर निर्भर करेगी। ऋण की अवधि 12 महीने की होगी जब तक कि किसी विशेष योजना के तहत कम अवधि निर्दिष्ट न की गई हो।
2. ब्याज की वार्षिक दर उधारकर्ता द्वारा चुनी गई ऋण योजना पर निर्भर करेगी। ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। मूल देय तिथि से परे विलंबित अवधि के लिए दंडात्मक शुल्क @ 0.10 रुपये प्रति दिन प्रति 1000 रुपये या जीएसटी सहित उसका हिस्सा लिया जाएगा। ब्याज की गणना 365 दिनों की गणना के साथ पूर्ण दिनों की संख्या के आधार पर की जाती है। ईएमआई ऋण के मामले में ब्याज दर और अन्य नियम और शर्तें ईएमआई चार्ट में उल्लिखित हैं।
3. 14% और उससे कम की न्यूनतम प्रभावी ब्याज दर वाली ऋण योजनाओं में न्यूनतम 15 दिनों की अवधि के लिए और 14% से अधिक की न्यूनतम प्रभावी ब्याज दर वाली अन्य योजनाओं के लिए न्यूनतम 7 दिनों की अवधि के लिए ब्याज तथा न्यूनतम ब्याज राशि रूपये 50/- ली जायेगी।
4. कंपनी किसी भी समय धन की लागत जैसे सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से ब्याज दर को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ब्याज दर में कोई भी परिवर्तन केवल भावी प्रभाव से ही लागू होगा।
5. उधारकर्ता द्वारा ऋण या उसके किसी हिस्से का समय से पहले भुगतान करने की स्थिति में, राशि को पहले लागत/शुल्क और ब्याज के लिए समायोजित किया जाएगा और फिर बिना किसी पूर्व-भुगतान दंड के मूल ऋण राशि की ओर समायोजित किया जाएगा। आईपीएल योजना के अंतर्गत पूर्व भुगतान शुल्क भी लागू होगा।
6. कंपनी द्वारा की गई मांग पर ऋण राशि ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ चुकाई जानी है। 2 लाख एवं 2 लाख से अधिक के ऋण का प्रेषण केवल आरटीजीएस/एनईएफटी/डिजिटल भुगतान के अन्य तरीकों के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। मांगे न जाने पर भी ऋण अवधि के भीतर ब्याज सहित ऋण चुकाना पड़ेगा। यदि संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में दिए गए सोने के आभूषणों का मूल्य देय कुल देय राशि से कम हो जाता है, तो उधारकर्ता को वजन/मूल्य के अनुपात में अतिरिक्त सोने के आभूषण गिरवी रखने होंगे। उधारकर्ता द्वारा अतिरिक्त मार्जिन आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता के मामले में, ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए ऋणदाता द्वारा अतिरिक्त मार्जिन कमी शुल्क लगाया जाएगा। उधारकर्ता की ओर से ऐसा करने में विफलता की स्थिति में, कंपनी को ऋण को वापस लेने और ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ पूरे ऋण को चुकाने की मांग करने का अधिकार है।
7. यदि उधारकर्ता की ओर से कंपनी की मांग के अनुसार नियत तिथि के भीतर या उससे पहले ब्याज/शुल्क के साथ ऋण राशि चुकाने में कोई चूक होती है, तो कंपनी के पास उधारकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने और/या नीलामी का वैध अधिकार है। ऋण के लिए आवेदन में दिए गए पते पर उधारकर्ता को 14 दिन पहले नोटिस देकर नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से गिरवी रखे गए आभूषणों और प्राप्त राशि को ऋण राशि, ब्याज और नीचे उल्लिखित अन्य शुल्कों के रूप में समायोजित किया जाएगा। यदि नीलामी के माध्यम से प्राप्त राशि कंपनी के कुल बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो कमी की वसूली उधारकर्ता से या उसकी व्यक्तिगत संपत्ति जैसे अचल संपत्ति, भूमि, भवन या किसी चल संपत्ति से की जाएगी। जहां नीलामी के माध्यम से प्राप्त राशि उधारकर्ता से देय कुल राशि से अधिक है, तो वसूली गई अतिरिक्त राशि ऐसी वसूली की तारीख से 30 दिनों के भीतर उधारकर्ता को नकद या चेक द्वारा वापस कर दी जाएगी। हालाँकि, यदि उधारकर्ता पर कोई अन्य राशि बकाया है, तो उसे अतिरिक्त राशि से विनियोग द्वारा वसूल किया जाएगा और यदि कोई शेष है, तो उसके बाद ही उधारकर्ता को वापस किया जाएगा।
8. यदि कंपनी को उचित आशंका है या उधारकर्ता स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से किसी भी दिवालियेपन या दिवाला कानून के तहत कार्यवाही का विषय बन जाएगा, कंपनी 14 दिन पहले नोटिस, ऋण के लिए आवेदन पत्र में दिए गए पते पर देकर नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से गिरवी रखे गए आभूषणों को बेचने का अधिकार सुरक्षित रखती है। नीलामी से प्राप्त राशि को ऋण राशि, ब्याज, निम्नलिखित व्यय में समायोजित कर सकती है।
9. **नीलामी व्यय का विभाजन**

उधार की राशि	नीलामी व्यय	प्रिंटिंग व स्टेशनरी	विज्ञापन शुल्क	परिवहन शुल्क	पुनर्मूल्यांकन	नीलामकर्ता को भुगतान किया गया शुल्क	डाक खर्च	छंटाई, उठाने एवं नीलामी संबंधी अन्य कार्यों पर होने वाला व्यय
0*1 लाख	₹. 400	50	50	50	50	25	25	150
1*2 लाख	₹s 600	50	50	75	75	50	25	275
2 लाख और उससे अधिक	₹. 800	50	50	100	100	100	25	375

10. यदि कंपनी किसी भी कारण से ऋण योजना समाप्त कर देती है, तो उस योजना के तहत कोई और ऋण नहीं दिया जाएगा। यदि ऋण लेने वाला कोई उधारकर्ता ब्याज का भुगतान करके योजना समाप्त होने के बाद भी ऋण जारी रखना चाहता है, तो उसे उक्त ऋण खाता बंद कर देना होगा। वह किसी भी मौजूदा योजना के तहत नया ऋण प्राप्त कर सकता है, जो उधारकर्ता को बंद ऋण योजना के समान प्रति ग्राम दर पर ऋण लेने की अनुमति देता है या नई योजना के तहत कम राशि मिलने पर अंतर का भुगतान करता है।
11. किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी या इकाई को प्रतिभूतियों को बेचने, स्थानांतरित करने, आवंटित करने और चार्ज करने के द्वारा ऋण/उधार लेने के सभी अधिकार, स्वामित्व और किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी या इकाई को इस ऋण के लेनदेन में कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज का पूर्ण अधिकार है। कंपनी को इस ऋण लेनदेन में सुरक्षा के रूप में दिए गए सभी दस्तावेजों, विलेखों या गहनों को आवश्यकता पड़ने पर पैसे उधार लेने या उधार लेने के लिए सुरक्षा के रूप में देने का भी पूरा अधिकार होगा। उधारकर्ता कंपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और/या भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य वैधानिक निकायों द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्राप्त ऋण सुविधा से संबंधित किसी भी जानकारी या डेटा का खुलासा करने के लिए सहमत है। उधारकर्ता समझता है कि ऐसी एजेंसियाँ ऐसी जानकारी का उपयोग या साझा किसी भी तरीके से कर सकती हैं जो उन्हें उचित लगे। इसके द्वारा उधारकर्ता कंपनी को क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड या किसी अन्य समान एजेंसी के पास उपलब्ध कोई भी जानकारी या डेटा प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता है।
12. केवल ऋण लेने वाले व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही ऋण, ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ चुकाने के बाद आभूषण वापस लेने का अधिकार है। गिरवी रखे गए सामान को वापस पाने के लिए ऋण खाता बंद करते समय इस स्वीकृति पत्र की एक प्रतिलिपि कंपनी को जमा करनी होगी। (स्वीकृति पत्र की प्रती जो खो जाने की स्थिति में मुआवज़े का भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा)
13. गिरवी रखी गई वस्तुएँ सभी बकाया राशि के पुनर्भुगतान पर उधारकर्ता को वापिस कर दी जाएंगी। यदि सेट-ऑफ़ के किसी अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ता को दावों के विवरण के साथ उचित नोटिस दिया जाएगा।
14. ऋण राशि का उपयोग किसी भी गैरकानूनी या अवैधानिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
15. कंपनी उधारकर्ता के खाते को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगी। हालाँकि कंपनी ऋण खाते और/या गिरवी रखी वस्तुओं को कंपनी की किसी अन्य शाखा में स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
16. कंपनी हॉरे आदि जैसे महंगे पथरों से जड़े आभूषणों को स्वीकार नहीं करेगी और न ही कंपनी पथरों के मूल्य के संबंध में किसी भी तरह का दावा स्वीकार करेगी।
17. पात्र ऋण राशि की गणना के उद्देश्य से, आभूषण की शुद्धता 22 कैरेट के रूप में ली गई है। कंपनी गिरवी रखी गई वस्तुओं की शुद्धता को पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों/ऋण आवेदन में की गई घोषणाओं और पुरिणों और कुछ बुनियादी परीक्षणों के आधार पर प्रमाणित कर रही है। यदि कंपनी को बाद में पता चलता है कि सुरक्षा के रूप में गिरवी रखे गए सोने के आभूषण नकली या बनावटी हैं या उनकी शुद्धता 22 कैरेट से कम है, तो कंपनी उधारकर्ता के खिलाफ दीवानी तथा/या फौजदारी कार्यवाही शुरू करेगी। और इस संबंध में कंपनी को होने वाली लागतों और हानियों के लिए उधारकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
18. चोरी, डकैती, आग, बाढ़, भूकंप आदि के कारण गिरवी रखी गई वस्तुओं के नुकसान की स्थिति में, कंपनी का दायित्व 22 कैरेट सोने के शुद्ध वजन के बराबर मूल्य का भुगतान करने तक सीमित है। यह भुगतान राशि डकैती/नुकसान के दिवस पर इंडिया बुलिपन ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा घोषित दर पर निर्धारित की जायेगी। इस निर्धारित राशि में से ऋण व ब्याज की राशि की कटौती के पश्चात बची हुई राशि को उधारकर्ता को दी जायेगी। इस संबंध में ब्याज की गणना डकैती/नुकसान की तारीख से उधारकर्ता द्वारा दिए गए दावे की तारीख तक की जाएगी।
- 1.1 सभी संचार उधारकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए पते पर भेजे जाएंगे। यदि पते या फ़ोन नंबर में कोई परिवर्तन होता है, तो उधारकर्ता को तुरंत कंपनी को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए अन्यथा उक्त पते पर भेजे गए डिमांड नोटिस, नीलामी नोटिस आदि सहित सभी संचार उधारकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए माने जाएंगे।
19. कंपनी ब्याज, मूलधन के भुगतान की याद दिलाने और कंपनी या किसी अन्य संस्था के किसी भी अन्य उत्पाद/सेवाओं के बारे में या उधारकर्ता को कोई जानकारी देने के लिए अन्य तरीकों से एसएमएस या संचार भेजने का विकल्प चुन सकती है।
20. यह ऋण कंपनी की वेबसाइट [www.muthootfinance.com](http://www.muthootfinance.com) पर प्रकाशित कंपनी की "उचित व्यवहार संहिता" की शर्तों के अनुपालन में स्वीकृत किया गया है। हमारे नियम और शर्तें वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, कृपया उपशीर्षक "ऋण मूल्यांकन और नियम और शर्तें" के तहत लिंक <http://www.muthootfinance.com/policy/fair-practices> पर उचित व्यवहार संहिता पर जाएं। नियम और शर्तों में बदलाव समय-समय पर वेबसाइट पर अधिसूचित किए जाएंगे जो बाद में स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होंगे।
21. कंपनी के कर्मचारियों/लेखा परीक्षकों को जब भी स्वर्ण आभूषणों के सत्यापन की आवश्यकता होगी, कंपनी द्वारा निर्धारित मानक मूल्यांकन विधियों को अपनाकर संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में पेश किए गए आभूषणों की शुद्धता को सत्यापित करने का अधिकार होगा।
22. उधारकर्ता को अतिरिक्त स्टांप शुल्क, कर, दंड आदि सहित ऋण दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क का वहन/भुगतान करना होगा, जैसा कि ऋण खाते के संबंध में सरकार/प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर लागू/मांग किया जायेगा।
23. यदि उधारकर्ता को सोने के आभूषणों की सुरक्षा पर लिए गए ऋण से संबंधित किसी भी पहलू के बारे में कोई शिकायत है, तो उसे पहले इसे संबंधित शाखा प्रबंधक के ध्यान में लाना होगा। यदि शाखा प्रबंधक शिकायत का समाधान नहीं कर सका, तो उधारकर्ता को संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के पास मामला उठाना होगा, जिसका पता शाखा परिसर में प्रदर्शित किया गया है। यदि क्षेत्रीय प्रबंधक भी उधारकर्ता की संतुष्टि के अनुसार शिकायत का समाधान नहीं कर पाता है, तो उधारकर्ता निम्नलिखित पते पर कंपनी के शिकायत निवारण कक्ष को लिख सकता है। शिकायत निवारण कक्ष अधिकारी, मुफूट फाइनेंस लिमिटेड, प्रधान कार्यालय: मुफूट चैंबर्स, सरिता थिएटर कॉम्प्लेक्स के सामने, बनर्जी रोड, कोच्चि - 682018 (दक्षिण भारतीय राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना और पांडिचेरी और गोवा के लिए)। शिकायत निवारण कक्ष अधिकारी, मुफूट फाइनेंस लिमिटेड, मुफूट टावर्स-अलकनंदा, नई दिल्ली-110019 (उत्तर, पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों के अन्य सभी राज्यों के लिए)।
24. कंपनी ऋण मंजूरी पत्र के नियमों और शर्तों में दिए गए उद्देश्य को छोड़कर उधारकर्ता के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। (उधारकर्ता द्वारा पहले न बताई गई नई जानकारी मांगने के अलावा)।

25. उधारकर्ता कंपनी को अंतर्निहित गिरवी वस्तुओं पर विकल्प अनुबंध में प्रवेश करके मूल्य जोखिम से बचाव करने के लिए अधिकृत करता है जो इस ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में पेश किए जाते हैं। और विकल्प अनुबंध के संबंध में संबंधित आनुपातिक प्रीमियम का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।
26. कंपनी अपने निबंधन से घरे कारणों से गिरवी रखी गई वस्तुओं को होने वाले किसी भी नुकसान/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदाएँ जैसे आग, बाढ़, भूकंप आदि। और ऐसी परिस्थितियों में कंपनी द्वारा प्राप्त केवल बीमा दावे की राशि उधारकर्ता को मुआवजे के रूप में दी जायेगी।
27. ऋण के सभी संवितरण/ऋण की चुकोती/ब्याज का भुगतान और अन्य सभी लेनदेन उधारकर्ता द्वारा किसी भी कार्य दिवस पर कार्य घंटों के दौरान किए जाएंगे। यदि किसी पुनर्भुगतान या किसी राशि के भुगतान की देय तिथि कार्य दिवस नहीं है, तो यह उस दिन से ठीक पहले के कार्य दिवस पर किया जाएगा।
28. उधारकर्ता पुष्टि करता है कि एमएफएल रिकॉर्ड में रखी गई गिरवी वस्तुओं का मूल्य स्वीकार्य, निर्णायक और अंतिम है और उधारकर्ता पर बाध्यकारी है।
29. मैं यह समझता हूँ कि एमएफएल द्वारा उधारकर्ता को ऋण स्वीकृत करने का मतलब यह नहीं है कि एमएफएल यह गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की पुष्टि या स्वीकार करता है कि वे एक विशेष कैरट शुद्धता के हैं ।
30. उधारकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर समय लेन-देन दस्तावेजों के तहत बकाया कुल राशि एमएफएल के रिकॉर्ड के अनुसार गिरवी रखी गई वस्तुओं के मूल्य का 90% से अधिक न हो, तथा समय-समय पर एमएफएल द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य प्रतिशत ("मार्जिन") को बनाए रखें।
31. उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि वह किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन या किसी गलत बयानी के परिणामस्वरूप एमएफएल को होने वाले सभी नुकसान और देनदारियों (तीसरे पक्ष के दावों सहित) के लिए एमएफएल को क्षतिपूर्ति देगा और उसे सुविधा या गिरवी रखी गई वस्तुओं के संबंध में हानिरहित रखेगा। उधारकर्ता ऋण के संबंध में किसी भी लागत और खर्च के लिए एमएफएल को प्रतिपूर्ति करेगा, जिसमें प्रतिभूतियों का बीमा करने की लागत, प्रवर्तन लागत, सभी करों के बकाया की निकासी और सरकार के किसी भी अन्य शुल्क आदि शामिल हैं।
32. उधारकर्ता को समय-समय पर एमएफएल द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। एमएफएल स्वयं या अपने एजेंटों के माध्यम से दी गई किसी भी जानकारी को सत्यापित कर सकता है, क्रेडिट संदर्भ, रोजगार विवरण की जांच कर सकता है और समय-समय पर एमएफएल द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली क्रेडिट रिपोर्ट या कोई अन्य जानकारी प्राप्त कर सकता है।
33. किसी भी उधारकर्ता की मृत्यु के मामले में, उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखे आभूषणों के स्वामित्व में परिवर्तन एमएफएल की पूर्ण सहमति से होगा ।
34. यदि गिरवी रखी गई वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रणालीगत धोखाधड़ी का पता चलने पर उधारकर्ता का कोई भी अभ्यावेदन झूठा, भ्रमक या गलत पाया जाता है, तो एमएफएल ऋण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार देय सभी रकम उधारकर्ता को ब्याज सहित सुविधा की बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने के लिए कह सकता है।
35. उधारकर्ता को दी गई सुविधा के संबंध में और/या बकाया राशि की वसूली के लिए उधारकर्ता की ओर से किसी भी कार्य या डिफॉल्ट के कारण एमएफएल द्वारा किए गए सभी दावों, लागतों, हानियों और खर्चों का भुगतान करने के लिए, (कानूनी/वकील शुल्क सहित) और/या लेन-देन दस्तावेजों के तहत किसी भी नियम और शर्तों के उधारकर्ता की विफलता के कारण उधारकर्ता को कहा जा सकता है या सूचित किया जा सकता है।
36. ऋण दस्तावेजों या उसके निष्पादन से संबंधित किसी भी और सभी दावों और विवादों को एमएफएल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकल मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता द्वारा निपटया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान कोचीन एर्नाकुलम में होगा। मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाएगी और ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और उधारकर्ता और एमएफएल पर बाध्यकारी होगा।
37. एमएफएल को उधारकर्ता का बकाया वसूलने के लिए उधारकर्ता के व्यय तथा जोखिम पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए अधिकार होगा तथा उधारकर्ता से संबंधित ऐसी जानकारी, तथ्य और आंकड़े साझा करने का अधिकार होगा। ऋणदाता, किसी भी समय, लेन-देन दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार, लाभ और दायित्वों को निर्दिष्ट या स्थानांतरित कर सकता है।

### घोषणा और वचन

1. मैं इस बात से सहमत हूँ कि कंपनी द्वारा मुझे दिए गए ऋण की पूर्व शर्त के रूप में, ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में किसी भी चूक के मामले में, या संबंधित नियत तारीख पर ऋण की किसी भी सहमत किस्त के मामले में, कंपनी को डिफॉल्टर के रूप में मेरे नाम, विवरण और फोटो को इस तरह से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा, जैसा कि कंपनी अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे। पुनर्प्राप्ति के लिए, कंपनी रोड शो कर सकती है या खुली "मुनादी" (लाउड स्पीकर के माध्यम से घोषणा) आयोजित कर सकती है। कंपनी के अधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि ऋण के अनुवर्ती कार्रवाई के अंतर्गत उधारकर्ता के निवास/कार्यस्थल/व्यवसाय का दौरा कर सकते हैं। ऐसी सेवाओं के लिए, संग्रहण शुल्क रु. 177/- प्रति ऋण खाता लागू है।
2. मैं अपने द्वारा लिए गए ऋण को ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ 12 महीने या योजना के तहत निर्दिष्ट स्वीकृत अवधि के भीतर चुकाने का वचन देता हूँ।
3. मैंने इसके बाद उल्लिखित नियमों और शर्तों और मेरे द्वारा लिए गए ऋण पर लागू ब्याज दर को पूरी तरह से समझ लिया है और मैं इससे सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ।
4. मैं अपने द्वारा लिए जा रहे ऋण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में मेरे द्वारा दिए गए सोने के आभूषणों का असली और लाभार्थी स्वामी हूँ। मैंने उक्त आभूषण वैध तरीके से हासिल किये हैं और इसके स्वामित्व के संबंध में किसी भी जीवित व्यक्ति या किसी मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी से कोई दावा या विवाद नहीं है।
5. सुरक्षा के रूप में पेश किए गए आभूषण 22 कैरेट शुद्धता वाले शुद्ध सोने के हैं।
6. मैं इस बात से सहमत हूँ कि एमएफएल बिना कोई नोटिस दिए, ऋण की अवधि के दौरान ऐसे सीलबंद पैकेट को खोलने और गिरवी रखी गई वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में जांच करने का हकदार होगा (पिघलने/काटने/विनाश परीक्षण करने तक सीमित नहीं है) या किसी भी समय उधारकर्ता के जोखिम और व्यय पर गिरवी रखी गई वस्तुओं पर अन्य परीक्षण कर सकता है। उधारकर्ता सहमत है और वचन देता है कि एमएफएल के निष्कर्ष बाध्यकारी होंगे और उधारकर्ता किसी भी तरह से उस पर विवाद नहीं करेगा।
7. ऋण राशि, ब्याज की देय चुकोती के लिए सुरक्षा के रूप में, मैं अपनी इच्छा से मुथूट फाइनैस लिमिटेड (एमएफएल) के पक्ष में एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट, डीपीएन डिलीवरी पत्र और छूट पत्र निष्पादित कर रहा हूँ। मैंने ऋण अनुदान के लिए डिमांड प्रॉमिसरी नोट में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पढ़ा है, जो मुझे अंग्रेजी/हिंदी/ मलयालम/ कन्नड़/तेलुगु/तमिल (भाषा) में प्रदान किया गया है, जिसमें मैं परिचित और सहज हूँ।
8. **स्थानीय घोषणा:** उपरोक्त नियमों और शर्तों को मेरी समझ में आने वाली भाषा में मुझे समझाया गया है और मैंने विभिन्न खंडों के पूरे अर्थ और निहितार्थ को समझ लिया है और इन दस्तावेजों को निष्पादित किया है, जो मेरी उपस्थिति में भरे गए हैं। मुझे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के रूप में ऋण के लिए और उसके संबंध में मेरे द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं और मुझे पता है कि यदि मुझे किसी भी भौतिक प्रतियों की आवश्यकता होती है तो ऐसी प्रतियां मुझे मामूली कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
9. यदि स्वामित्व और/या सोने की शुद्धता के बारे में मेरी कोई भी पुष्टि/घोषणा गलत साबित होती है, तो मैं ऐसी गलत घोषणा के कारण कंपनी को होने वाले नुकसान की सीमा तक एमएफएल को क्षतिपूर्ति दूंगा और ऋण और ब्याज और अन्य सभी शुल्कों के साथ तुरंत चुकाने का वचन देता हूँ। इस ऋण समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थता का स्थान एर्नाकुलम होगा। मध्यस्थता के अधीन, एर्नाकुलम की अदालतों के पास इस लेन-देन से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करने का विशेष क्षेत्राधिकार होगा।
10. मुझे पता है कि ऋण दस्तावेजों पर मेरे द्वारा एमएफएल सिस्टम में दर्ज मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को मान्य करने के आधार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ऐसे हस्ताक्षर मेरे लिए बाध्यकारी हैं और इस संबंध में मेरा कोई दावा/विवाद नहीं है।

मेरी आधार संख्या ..... का धारक हूँ और यूआईडीएआई के साथ प्रमाणीकरण के लिए मेरा आधार संख्या, नाम और उंगलियों के निशान प्राप्त करने के लिए मेसर्स एमएफएल को अपनी सहमति देता हूँ। मेसर्स एमएफएल ने मुझे सूचित किया है कि मेरी पहचान की जानकारी का उपयोग केवल केवाईसी के लिए किया जाएगा और यह भी सूचित किया है कि मेरे बायोमेट्रिक्स को साझा नहीं किया जाएगा और केवल प्रमाणीकरण के उद्देश्य से सीआईडीआर को प्रस्तुत किया जाएगा।

तिथि :  

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित  
उधारकर्ता के हस्ताक्षर

### प्रमाणपत्र

ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखे गए आभूषणों के शुद्ध वजन में सोने की मात्रा की शुद्धता लगभग 22 कैरेट के रूप में मूल्यांकन की जाती है, जो उधारकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण/ऋण के लिए आवेदन में की गई घोषणाओं के आधार पर होती है, इस तथ्य का प्रयोजन अनुमेय ऋण राशि और नीलामी के लिए अरक्षित मूल्य का निर्धारण है। इस प्रमाणीकरण के आधार पर सोने की शुद्धता के संबंध में कंपनी पर कोई दायित्व नहीं होगा।

शाखा प्रबंधक